तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर अहका[म] हुक्म [...] में [...]
24-3-15	वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० हैं। तहसीलदार गंगापुर को D.O. पत्र जारी कर रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली दि० 31-3-2015 को पेश हो। [signature]	
प्रार्थी द्वारा आवेदन में संशोधन किया गया है। जो संशोधन के लिखित फ़ाइल के आधार पर कर दिया है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत रखते भीलाल पुत्र किशनलाल के नाम के उल्लेखित एवं शपथ पत्र के आधार पर खातेदार का नाम किलाण के स्थान पर भीलाल की दुरुस्ती किया जाना उचित है। N.T. [illegible] Co. PR/DN	31-3-15 वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उभयपक्ष को सुना गया। प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 136 L.R. Act एवं रिपोर्ट सरकारी पैरोकार (जो आदेशिका पर ही अंकित है) का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने भूमि ख० नं० $\frac{318}{0.71}$, $\frac{320}{0.42}$, $\frac{321}{0.35}$, $\frac{322}{0.08}$, $\frac{323}{0.17}$, $\frac{319}{2.10}$ ग्राम छावा में दर्ज नाम किलाण के स्थान पर भीलाल दर्ज करने का निवेदन किया है। सरकारी पैरोकार ने भी नाम इसी अनुसार सही करने की अनुशंषा की है। प्रस्तुत अभिलेख फोटोकोपी परिचय पत्र फोटोकोपी राशन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम भीलाल दर्ज है। अतः प्रस्तुत जबाब व अभिलेख के अनुसार प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख० नं० $\frac{318}{0.71}$, $\frac{320}{0.42}$, $\frac{321}{0.35}$, $\frac{322}{0.08}$, $\frac{323}{0.17}$, $\frac{319}{2.10}$ ग्राम छावा में दर्ज प्रविष्टि किलाण बालिग, हरीराम नाबालिग पि० किशनलाल के स्थान पर प्रविष्टि भीलाल बालिग, हरीराम नाबालिग पि० किशनलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरों के खाते में दर्ज शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। आदेश की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	